जागरण
16th April 2014, Page-6

# शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत

परिचर्चा में भाग लेती (दाएं से) यूनिसेफ की भारत में शिक्षा विभाग प्रमुख उर्मिल सरकार, राष्ट्रीय बाल आयोग की चेयरपर्सन कुशल सिंह व लुइस जॉर्ज। जागरण

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना एक ऐतिहासिक कदम था। अधिनियम बच्चों को स्कूल पहुंचाने, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने तथा बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने में कामयाब रहा है। हालांकि अभी भी देश के बड़े भू-भाग में बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने जरूरी हैं। अधिनियम के चार वर्ष पूरे होने पर यूनिसेफ द्वारा शिक्षा के अधिकार विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कुशल सिंह, यूनिसेफ की भारत प्रतिनिधि लुईस-जॉर्ज आर्सेनाल्ट, शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. गीता मेनन, भारत में यूनिसेफ की शिक्षा विभाग की प्रमुख उर्मिला सरकार शामिल हुईं।

परिचर्चा के दौरान शिक्षा के अधिकार को सफल बनाने के लिए संस्थानों की क्षमता बढ़ाना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (प्री स्कूल एवं सेकेंडरी एजुकेशन) को कवर करने के लिए आरटीई का विस्तार करने पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने शिक्षा की उपलब्धता के अधिकार से सीखने के अधिकार की ओर अग्रसर होने पर बल दिया। कुशल सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने में सफल रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग समेत राज्यों में कार्यरत बाल आयोग को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। यदि बच्चों का वर्तमान सही होगा तो देश का भविष्य भी सुनहरा होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा स्कूल बीच में ही छोड़ने की दर सन 2009 में जहां 9.1 थी वहीं अब यह घटकर महज 5.6 रह गई है।